

पत्रांक-7 / क0च0आ0-16-03 / 2012 का.-

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो, भा.प्र.से.  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

रांची, दिनांक .....

विषय : सीधी भर्ती के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अभ्यर्थियों को प्राप्त छूट एवं रियायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार या मात्र साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में आरक्षित वर्ग यथा- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के वैसे अभ्यर्थियों जिनका चयन अपनी मेधा के आधार पर होता है उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित माना जाय या नहीं यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-ईस्ट(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेज) दिनांक 01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में उपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण

क्षेत्र, के आधार पर होता है तो वे सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

भारत सरकार के उपर्युक्त दोनों कार्यालय ज्ञापनों की छाया प्रति भी संलग्न है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(फिदेलिस टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/क0च0आ0-16-03/2012 का.-12165(33)/रांची, दिनांक 31.10.12

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

